□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□□
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4337
19 □□□□, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

रसोई चलाने के लिए लाइसस

4337. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः
डॉ॰ वकटेश नेता बोरलाकुंताः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने आंध्र प्रदेश म तिरूमला तिरूपति देवस्थानम (टीटीडी) को पाकशाला, जहां प्रसाद के लड्डू तैयार किए जाते ह, के निरीक्षण के लिए चेन्नै म केन्द्रीय लाइसंसिग प्राधिकरण को पत्र लिखा है और पाकशाला-संचालन चलाने के लिए केन्द्रीय लाइसस प्राप्त करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे ह कि उक्त प्रयोजनाथ खाद्य सुरक्षा लाइसस किसी अन्य खाद्य व्यवसाय प्रचालक को भांति यथावत मिल जाए?

□त□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री □□श्वि□□ □□□□ □□□)□

(क) से (ग): जी, हां। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 को अपेक्षा के अनुसार लाइसस प्राप्त करने के लिए, मामले को आंध्र प्रदेश म तिरूमला तिरूपति देवस्थानम (टीटीडी) के समक्ष उठाया गया था। तदोपरांत टीटीडी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का लाइसस प्राप्त कर लिया है। टीटीडी द्वारा प्राप्त लाइसस का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. मै. एईओ पोटू श्री टीटी तिरूमला -10017044001209.
2. मै. तिरूमला तिरूपति देवस्थानम – 10017044001212.

*****